**ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176057**
**के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का**
**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**भाग-एक**

**1. प्रस्तावना**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती इंदु | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**सचिव :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री करनैल सिंह | 01/04/2022 से 12/09/2022 |
| 2. | श्री संतोष कुमार | 13/09/2022 से 19/05/2023 |
| 3. | सुश्री शिल्पा | 20/05/2023 से 31/03/2024 |

**तकनीकी सहायक :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री अजय कुमार | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**ग्राम रोजगार सेवक :-**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री सोनू कुमार | 01/04/2022 से 31/03/2024 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

ग्राम पंचायत रक्कड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 4.1 | रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर का पाया जाना | **0.58** |
| 2. | 6.1 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | **29.89** |
| 3. | 7.1 | संपत्ति कर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना | **0.36** |
| 4. | 8.1 | खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना | **1.37** |
| 5. | 8.2 | बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना | **0.05** |
| 6. | 8.3 | सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T, T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना | **0.06** |
| 7. | 8.4 | औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | **0.80** |
| 8. | 8.5 | पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करना | **3.14** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | 8.6 | अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना | **1.78** |
| 10. | 8.6 | प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना | **1.78** |
| 11. | 9.1 | कृत व्यय से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना करना | **3.55** |
| 12. | 9.3 | मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना | **0.48** |
| 13. | 9.4 | व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का पाया जाना | **0.43** |
| 14. | 10.1 | विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करने के कारण राजकीय कोष को राजस्व हानि का पाया जाना | **0.03** |
| 15. | 10.2 | विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व हानि | **0.08** |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-**

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत रक्कड़ का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

**<u>1.अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक</u>**

| क्र० सं० | पैरा सं० | नवीनतम स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | 3 | **अनिर्णित** |
| 2. | 4 | **अनिर्णित** |
| 3. | 5.1 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष |

| | | |
|---|---|---|
| | | अभियान के दौरान |
| 4. | 5.2 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 5. | 5.3 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 6. | 5.4 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 7. | 6 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 8. | 7 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 9. | 8 | **अनिर्णित** |
| 10. | 9 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 11. | 10 | **अनिर्णित** |
| 12. | 11 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 13. | 12 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 14. | 13 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक |

| | | |
|---|---|---|
| | | 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 15. | 14 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |
| 16. | 15 | **निर्णित** (ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.01.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान |

## भाग – दो

### 2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.02.2025 से 22.02.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

| वित्तीय वर्ष | आय (माह) | व्यय (माह) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 11/2022 | 08/2022 |
| 2023-24 | 07/2023 | 08/2023 |

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

**3. अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

**4. वित्तीय स्थिति**:-

**(क)** पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 39/2024 दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट** - **"क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

**1. स्वः स्त्रोत:-**

| अवधि | अथशेष | प्राप्ति | योग (कालम 2+3) | व्यय | अन्तशेष (कालम 4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2022-23 | 31661.00 | 313095.00 | 344756.00 | 27451.00 | 317305.00 |
| 2023-24 | 317305.00 | 284199.00 | 601504.00 | 99799.00 | 501705.00 |

**2. अनुदान:-**

| अवधि | अथशेष | प्राप्ति | योग (कालम 2+3) | व्यय | अन्तशेष (कालम 4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2022-23 | 2084136.00 | 3115313.00 | 5199449.00 | 2303786.00 | 2895663.00 |
| 2023-24 | 2895663.00 | 2020884.62 | 4916547.62 | 1927587.62 | 2988960.00 |

**कुल योग (1+2)** = 501705.00 + 2988960.00 = **3490665.00**

**(ख) बैंक समाधान विवरणी:-**

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹34,90,665.00** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹34,33,100.70 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

| क्र०सं० | शीर्ष | बैंक | खाता सं० | बैंक अंत शेष 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सभा निधि (OWN SOURCE) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50053900916 | ₹ 5,00,591.00 |
| 2. | | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141920905 | ₹ 1,074.00 |
| 3. | 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 20121009789 | ₹ 4,05,526.50 |
| 4. | विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055858859 | ₹ 4,86,799.70 |
| 5. | क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860142 | ₹ 2,00,690.00 |
| 6. | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141922237 | ₹ 2,211.50 |
| 7. | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860539 | ₹ 11,376.00 |
| 8. | आपदा राहत कोष (CRF) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055858644 | ₹ 6,564.00 |
| 9. | स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50075898210 | ₹ 12,523.00 |
| 10. | मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860958 | ₹ 894.00 |
| 11. | | IndusInd बैंक | 100141921568 | ₹ 11,070.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | धर्मशाला | | |
| 12. | 12वाँ वित्तायोग (12TH FC) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860798 | ₹ 0.00 |
| 13. | 14वाँ वित्तायोग (14TH FC) | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100124111559 | ₹ 2,344.00 |
| 14. | 15वाँ वित्तायोग (15TH FC) | बंधन बैंक धर्मशाला | 50200017009490 | ₹ 17,91,437.00 |
| | हस्तगत नकद शेष (Own Source) | | | ₹ 0.00 |
| | **कुल योग** | | | **₹ 34,33,100.70** |
| | **दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-** | | | |
| | रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा- 4(क) के अनुसार अन्तशेष :- | | | **₹ 34,90,665.00** |
| | पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:- | | | **₹ 34,33,100.70** |
| | **अंतर :-** | | | **₹ 57,564.30** |

**4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.58 लाख के अत्यधिक अन्तर बारे:-**

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹57,564.30** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 03/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार

करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

**4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -**

निदेशक पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु एक से अधिक बैंक खाते खोले गये थे जोकि अनियमित है :-

| क्र०सं० | शीर्ष | बैंक | खाता सं० |
|---|---|---|---|
| 1. | सभा निधि (OWN SOURCE) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50053900916 |
| 2. | सभा निधि (OWN SOURCE) | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141920905 |
| 3. | मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860958 |
| 4. | मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141921568 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी, यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 02/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: एक शीर्ष हेतु एक से अधिक बैंक खाते खोलने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व पूर्वोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों के वाउचरों से संबंधित निम्न तालिका में दर्शाये गये कार्यों के निष्पादन हेतु योजनावार एवं कार्य के अनुसार निधियों की कुल प्राप्ति एवं भुगतान की पुष्टि सम्भव न हो सकी तथा उक्त कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं की पुष्टि सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा/ खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

| क्र०सं० | अनुदान | वा०सं०/ दिनांक | बिल सं०/ मस्ट्रोल सं० दिनांक | कार्य का नाम | चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGSA | RGSA/2022-23/P/9 Dt 03.08.2022 | 13182/ 19.05.2022 | C/O CSC Lokmitr Kender GP Rakkar | ₹ 17,230.00 |
| 2 | SDP | SDP/2022- | 477/ | C/o Jeep Road with Tile from | ₹ 1,39,400.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 23/P/3 Dt 25.08.2022 | 24.08.2022 | Vijender Singh Rana House towards Chuni Lal Dhawan House Ward No. 5 | |
| 3 | SDP | SDP/2022-23/P/4 Dt 25.08.2022 | 476/ 24.08.2022 | C/o Jeep Road with Tile from Kripal Chand House towards Vijender Singh Rana House Ward No. 5 | ₹ 1,39,400.00 |
| 4 | 15th FC | XVFC/2022-23/P/40-41 Dt 10.08.2022 | 7867/ 07.06.2022 | निर्माण नाली मेन कुहल से अमर सिंह के घर की ओर वार्ड नं 2 | ₹ 8,400.00 |
| 5 | 15th FC | XVFC/2022-23/P/42-43 Dt 10.08.2022 | 7869/ 22.06.2022 | | ₹ 4,200.00 |
| 6 | 15th FC | XVFC/2022-23/P/44-50 Dt 10.08.2022 | 7857/ 07.03.2022 | निर्माण नाली मनोहर लाल के घर से आत्माराम के घर की ओर वार्ड नं 4 | ₹ 15,493.00 |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 03/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**5. निवेश**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा

सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 04/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 6. अनुदान

### 6.1 अनुदान राशि ₹29.89 लाख का अवरोधन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 39/2024 दिनांक 18.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 29,88,960.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 04/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

**6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 04/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास

खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अंनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/रक्कड़ दिनांक 19.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 04/2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

**7. पंचायत राजस्व**

**7.1 संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/रक्कड़ दिनांक 20.02.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 05/2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में ₹40/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹35,575.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतःउक्त पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 8. व्यय

### 8.1 खनन सामग्री बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹1.37 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹1,36,620.23** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/रक्कड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 09/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः राशि **₹1,36,620.23** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

**8.2 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.05 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -**

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के लिए भवनों एवं सड़कों हेतु सामग्री सम्बन्धी अध्याय 2 के पैरा क्रम 2.1.2.13 में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों (Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% करना निर्धारित है

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹69,369.90** का भुगतान किया गया था जिस पर राशि **₹4,567.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/रक्कड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिरिक्त भुगतान

की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षणावधि के दौरान कुल कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

**8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T, T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.06 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-**

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारां नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹3,13,650.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं

से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹6,273.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/रक्कड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

**8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.80 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹80,430.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " ज "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/रक्कड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना राशि **₹80,430.00** की निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से किया व अंकेक्षण को आश्वासन दिया कि भविष्य में सामग्री का क्रय औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण करने उपरांत ही किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः आपूर्ति आदेशों के अभाव में सामग्री के मांग अनुरूप होने तथा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**8.5 राशि ₹3.14 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करने बारे: -**

सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतु हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (**Controller of store)** की दर संविदा (**Rate Contract)** अथवा **Gem Portal** को प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹3,13,650.00** मूल्य के पेवर ब्लॉक्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portal से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान *"It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate. Before placing the supply, order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded technical sanction"*, की पालना की गई जोकि अनियमित एवं अनुचित प्रक्रिया है और यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/रक्कड़ दिनांक 21.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पेवर ब्लॉक की खरीद खुले बाजार से किया गया है तथा भविष्य में वर्णित नियमों की पूर्ण अनुपालना सहित ही पेवर ब्लॉक का क्रय किया जाएगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण हेतु समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मामला हि०प्र० पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ

विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु भी लाया जाता है।

**8.6 अग्रिम राशि ₹1.78 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹1,77,630.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन उचित समायोजन लेखों सहित करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**8.7 राशि ₹1.78 लाख के प्रोफॉर्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को **परिशिष्ट "ञ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹1,77,630.00** का भुगतान किया गया था, जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया था उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

**9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे**

**9.1 व्यय राशि ₹3.55 लाख से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार तकनीकी सहायक की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा

प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना एवं कनिष्ठ अभियंता की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, ₹3.00 लाख तक की लागत वाले कार्य कनिष्ठ अभियंता द्वारा पारित किए जाएंगे और कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए गए ₹3.00 लाख से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक अभियंता या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से सत्यापना एवं नमूना जांच के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है।

अत: संबंधित माप पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितताओं बारे समर्थित अभिलेख सहित तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं माप पुस्तिकाओं में नियामनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने उपरांत कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता

है कि भविष्य में माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन व अनुरक्षण हेतु वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये।

**9.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना: -**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **"परिशिष्ट -ई"** में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**9.3 मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन न करने के कारण राशि ₹0.48 लाख के अनियमित भुगतान बारे :-**

मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा 16 के अनुसार मस्ट्रोल बंद होने के 03 दिनों के भीतर तकनीकी कर्मियों द्वारा कार्य स्थल पर लिए गए माप के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाना है। मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) 2022-23 तथा 2023-24 के पैरा 7.12.4 के अनुसार, प्रत्येक मस्ट्रोल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मस्ट्रोलवार कार्य का मूल्यांकन किए बिना मजदूरी का भुगतान करने हेतु राशि **₹48,176.00** का व्यय किया गया जोकि अनियमित है व जिससे से संबंधित मस्टर रोलों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है। मस्ट्रोलवार कार्य का

मूल्यांकन न करने के कारण मजदूरी हेतु भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में संभव न हो सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि तकनीकी सहायक के पास एक साथ 5 से 6 पंचायत का कार्यभार होने के कारण व समय के अभाव के चलते प्रत्येक मस्ट्रोल का मूल्यांकन करना मुमकिन नहीं हो पाता है जिस कारण कार्य समाप्ति पर माप अनुसार मूल्यांकन किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोलवार कार्य के मूल्यांकन उपरांत मजदूरी का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

**9.4 व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण राशि ₹0.43 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना :-**

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹43,196.81** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिससे से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि अंकेक्षणावधि में किये गए ऐसे समस्त भुगतानों की उचित जांच कर तदानुसार व नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की नियमानुसार गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9.5 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-**

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/रक्कड़ दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये व मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**10. विविध अनियमितताएं :-**

**10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करने के कारण राशि ₹0.03 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -**

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹3,000.00** वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ढ़ "** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/रक्कड़ दिनांक 20.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 08/2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वसूली हेतु शेष विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की उचित स्रोत से वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.08 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -**

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹7,600.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ढ़"** पर संलग्न है, को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/रक्कड़ दिनांक 20.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 08/2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण

विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित थे तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था, जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर स्वतः प्रश्न चिन्ह है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/रक्कड़ दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा-जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**10.4 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना: -**

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे, जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-**

**11.1** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

**(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार**

| क्र० | रजिस्टर/अभिलेख | संदर्भित नियम | प्रारूप |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 12(1) व 27(1) | 01 |
| 2. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | 15(1) | ---- |
| 3. | वर्गीकृत सार | 29(4) | 08 |
| 4. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 30 | 09 |
| 5. | बजट प्राक्कलन | 37 | 11 |
| 6. | बिल प्राप्ति का रजिस्टर | 48 | 13 |
| 7. | यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर | 60 | 20 |
| 8. | स्टाम्प रजिस्टर | 61 (2) | 24 |
| 9. | लेखन सामग्री रजिस्टर | 72 (1) | 28 |
| 10. | संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर | 89 | 30 |
| 11. | तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर | 95(1) | 31 |
| 12. | माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर | --- | 101(2) |

**(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार**

| क्र० | रजिस्टर/अभिलेख | संदर्भित नियम | प्रारूप |
|---|---|---|---|
| 1. | स्थाई स्टॉक रजिस्टर | 34 | 01 |
| 2. | विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर | 35 | 07 |
| 3. | सहायता अनुदान रजिस्टर | 34 | 08 |
| 4. | विकास कार्यों का लेखा जोखा | 18(3), 27(3), 97(5) व 105(5) | 34 |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/रक्कड़ दिनांक 20.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व

आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**11.2** ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

| **क्रमांक** | **रजिस्टर क्रमांक** | **रजिस्टर का प्रायोजन** |
|---|---|---|
| 1. | रजिस्टर - I | जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट। |
| 2. | रजिस्टर-III | कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर |
| 3. | रजिस्टर-IV | कार्य (Work) रजिस्टर |
| 4. | रजिस्टर-V | अचल संपत्ति रजिस्टर |
| 5. | रजिस्टर-VI | शिकायत रजिस्टर |
| 6. | रजिस्टर-VII | सामग्री रजिस्टर |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/रक्कड़ दिनांक 20.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/रक्कड़ दिनांक 22.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 22.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**13. लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

**14. निष्कर्ष** :-

**(क)** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

**(ख)** PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

**(ग)** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

25 APR 2025 का०/प्रति

2454-2458

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)59/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला,, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 APR 2025

का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

(परिशिष्ट " क "  पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

## कार्यालय ग्राम पंचायत रक्कड़, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176057

### ANNEXURE -1

**FINANCIAL POSITION OF GP RAKKAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24**

1. OWN SOURCES

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31661.00 | 313095.00 | 344756.00 | 27451.00 | 317305.00 |
| 2023-24 | 317305.00 | 284199.00 | 601504.00 | 99799.00 | 501705.00 |

2. GRANTS-IN-AID

| YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2084136.00 | 3115313.00 | 5199449.00 | 2303786.00 | 2895663.00 |
| 2023-24 | 2895663.00 | 2020884.62 | 4916547.62 | 1927587.62 | 2988960.00 |

Rajeev kumar

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

# कार्यालय ग्राम पंचायत रक्कड़, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176057

## ANNEXURE -2

**FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP RAKKAR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24**

| SR.NO | PARTICULARS | YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5th SFC | 2022-23 | 333692.50 | 270215.00 | 603907.50 | 225934.00 | 377973.50 |
| | | 2023-24 | 377973.50 | 341429.00 | 719402.50 | 313876.00 | 405526.50 |
| 2 | VKVNY | 2022-23 | 166042.00 | 505553.00 | 671595.00 | 0.00 | 671595.00 |
| | | 2023-24 | 671595.00 | 228995.00 | 900590.00 | 413790.00 | 486800.00 |
| 3 | SDP | 2022-23 | 1.00 | 551914.00 | 551915.00 | 490934.00 | 60981.00 |
| | | 2023-24 | 60981.00 | 169906.00 | 230887.00 | 30197.00 | 200690.00 |
| 4 | RGSA | 2022-23 | 113056.50 | 202189.00 | 315245.50 | 311386.00 | 3859.50 |
| | | 2023-24 | 3859.50 | 95.00 | 3954.50 | 1743.00 | 2211.50 |
| 5 | NRHM | 2022-23 | 10735.00 | 306.00 | 11041.00 | 0.00 | 11041.00 |
| | | 2023-24 | 11041.00 | 335.00 | 11376.00 | 0.00 | 11376.00 |
| 6 | CRF | 2022-23 | 6193.00 | 177.00 | 6370.00 | 0.00 | 6370.00 |
| | | 2023-24 | 6370.00 | 194.00 | 6564.00 | 0.00 | 6564.00 |
| 7 | SBM | 2022-23 | 40334.00 | 329.00 | 40663.00 | 40663.00 | 0.00 |
| | | 2023-24 | 0.00 | 137273.00 | 137273.00 | 124750.00 | 12523.00 |
| 8 | MMGPY | 2022-23 | 11109.00 | 429.00 | 11538.00 | 0.00 | 11538.00 |
| | | 2023-24 | 11538.00 | 426.00 | 11964.00 | 0.00 | 11964.00 |
| 9 | 12th FC | 2022-23 | 57608.00 | 0.00 | 57608.00 | 0.00 | 57608.00 |
| | | 2023-24 | 57608.00 | 0.00 | 57608.00 | 0.00 | 57608.00 |
| 10 | 14th FC | 2022-23 | 2177.00 | 83.00 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 |
| | | 2023-24 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 2260.00 |
| 11 | 15th FC | 2022-23 | 1343188.00 | 905696.00 | 2248884.00 | 556447.00 | 1692437.00 |
| | | 2023-24 | 1692437.00 | 282519.00 | 1974956.00 | 183519.00 | 1791437.00 |
| 12 | SBM (PFMS) | 2022-23 | 0.00 | 28441.00 | 28441.00 | 28441.00 | 0.00 |
| | | 2023-24 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 |
| 13 | MNREGA | 2022-23 | 0.00 | 649981.00 | 649981.00 | 649981.00 | 0.00 |
| | | 2023-24 | 0.00 | 847712.62 | 847712.62 | 847712.62 | 0.00 |

Rajeev kumar

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

# कार्यालय ग्राम पंचायत रक्कड़, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176057

ग्राम पंचायत रक्कड़ के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

| क्र०सं० | शीर्ष | बैंक | खाता सं० | बैंक गत शेष 01.04.2022 | बैंक अंत शेष 31.03.2024 | कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024 | रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सभा निधि (OWN SOURCE) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50053900916 | ₹ 2,095.00 | ₹ 5,00,591.00 | ₹ 5,01,665.00 | ₹ 5,01,705.00 |
| 2. | | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141920905 | ₹ 28,725.00 | ₹ 1,074.00 | | |
| 3. | 5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 20121009789 | ₹ 3,33,692.50 | ₹ 4,05,526.50 | ₹ 4,05,526.50 | ₹ 4,05,526.50 |
| 4. | विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055858859 | ₹ 1,66,041.70 | ₹ 4,86,799.70 | ₹ 4,86,799.70 | ₹ 4,86,800.00 |
| 5. | क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860142 | ₹ 11.00 | ₹ 2,00,690.00 | ₹ 2,00,690.00 | ₹ 2,00,690.00 |
| 6. | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141922237 | ₹ 1,13,056.50 | ₹ 2,211.50 | ₹ 2,211.50 | ₹ 2,211.50 |
| 7. | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860539 | ₹ 10,735.00 | ₹ 11,376.00 | ₹ 11,376.00 | ₹ 11,376.00 |
| 8. | आपदा राहत कोष (CRF) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055858644 | ₹ 6,193.00 | ₹ 6,564.00 | ₹ 6,564.00 | ₹ 6,564.00 |
| 9. | स्वच्छ भारत मिशन (SBM) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50075898210 | ₹ 0.00 | ₹ 12,523.00 | ₹ 12,523.00 | ₹ 12,523.00 |
| 10. | मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860958 | ₹ 866.00 | ₹ 894.00 | ₹ 11,964.00 | ₹ 11,964.00 |
| 11. | | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100141921568 | ₹ 10,279.00 | ₹ 11,070.00 | | |
| 12. | 12वाँ वित्तायोग ($12^{TH}$ FC) | के०सी०सी०बी० योल कैम्प | 50055860798 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 57,608.00 |
| 13. | 14वाँ वित्तायोग ($14^{TH}$ FC) | IndusInd बैंक धर्मशाला | 100124111559 | ₹ 2,177.00 | ₹ 2,344.00 | ₹ 2,344.00 | ₹ 2,260.00 |
| 14. | 15वाँ वित्तायोग ($15^{TH}$ FC) | बंधन बैंक धर्मशाला | 50200017009490 | ₹ 13,43,188.00 | ₹ 17,91,437.00 | ₹ 17,91,437.00 | ₹ 17,91,437.00 |
| | | | **हस्तगत नकद शेष (Own Source)** | ₹ 841.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 |
| | | | कुल योग | **₹ 20,17,900.70** | **₹ 34,33,100.70** | **₹ 34,33,100.70** | **₹ 34,90,665.00** |

| **दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-** | |
|---|---|
| रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :- | **₹ 34,90,665.00** |
| पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:- | **₹ 34,33,100.70** |
| **अंतर :-** | **₹ 57,564.30** |

Rajeev kumar

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " **घ** ", पैरा संख्या " **7.1** " के संदर्भ में)

# कार्यालय ग्राम पंचायत रक्कड़, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176057

**दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-**

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 535 तथा 2023-24 में 540 परिवारों का व ₹40/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

| वित्तीय वर्ष | अथशेष | परिवार | गृहकर वार्षिक दर | मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | ₹ 1,00,640.00 | 535 | ₹ 40.00 | ₹ 21,400.00 | ₹ 1,22,040.00 | ₹ 0.00 | ₹ 1,22,040.00 |
| 2023-24 | ₹ 1,22,040.00 | 540 | ₹ 40.00 | ₹ 21,600.00 | ₹ 1,43,640.00 | ₹ 1,08,065.00 | ₹ 35,575.00 |
| | **नोट:-** दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 35,575.00/-** है। | | | | | | |

Rajeev Kumar

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि0ख0 धर्मशाला,
कांगड़ा (हि0प्र0)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

38



45

**ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 1.37 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्त वर्ष - 2022-2023 | | | | | | | |
| | अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तायोग (15TH FC) | | | | | | | |
| क्र०सं० | आपूर्तिकर्ता | वा०सं०/दिनांक | बिल सं०/दिनांक | मद का नाम | दर | मात्रा | भुगतान राशी GST सहित | फार्म X / फार्म Y |
| 1. | M/s Sharotri Dealers | XVFC/2022-23/P/50 Dt 10.08.2022 | 195/ 21.04.2022 | Crusher Bajri | ₹ 48.00 | 50.00 cft | ₹ 2,400.00 | Not available |
| | | | | GST @ 5% | | | ₹ 120.00 | |
| | अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA) | | | | | | | |
| 2. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 22/10/2022 | 176/ 02/04/2022 | Cut Stone (Paid less) | ₹ 15.00 | 580.00 no | ₹ 6,900.00 | Not available |
| 3. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 155/ 20/10/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 150.00 cft | ₹ 6,300.00 | Not available |
| 4. | | | | Crusher | ₹ 36.00 | 200.00 cft | ₹ 7,200.00 | |
| 5. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 152/ 18/10/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 75.00 cft | ₹ 3,150.00 | Not available |
| 6. | | | | Crusher | ₹ 36.00 | 75.00 cft | ₹ 2,700.00 | |
| 7. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 170/ 07/08/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 100.00 cft | ₹ 4,200.00 | Not available |
| 8. | | | | Bajri | ₹ 36.00 | 210.00 cft | ₹ 7,560.00 | |
| 9. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 171/ 07/08/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 130.00 cft | ₹ 5,460.00 | Not available |
| 10. | | | | Bajri | ₹ 36.00 | 130.00 cft | ₹ 4,680.00 | |
| 11. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 19/05/2022 | 165/ 22/12/2021 | Cut Stone | ₹ 15.00 | 580.00 no | ₹ 8,700.00 | Not available |
| 12. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 172/ 07/08/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 70.00 cft | ₹ 2,940.00 | Not available |
| 13. | | | | Bajri | ₹ 36.00 | 70.00 cft | ₹ 2,520.00 | |
| 14. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 169/ 17/02/2022 | Sand | ₹ 42.00 | 200.00 cft | ₹ 8,400.00 | Not available |
| 15. | | | | Crusher | ₹ 36.00 | 200.00 cft | ₹ 7,200.00 | |
| | वित्त वर्ष - 2023-24 | | | | | | | |
| | अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA) | | | | | | | |
| 16. | Rajesh Kumar | Nil/ 20/09/2023 | 70/ 08/04/2023 | Cut Stone | ₹ 20.95 | 270.00 no | ₹ 5,656.00 | Not available |
| | | | | GST @ 5% | | | ₹ 282.80 | |
| 17. | Rajesh Kumar | Nil/ 03/07/2023 | 35/ 25/10/2022 | Sand | ₹ 43.81 | 150.00 cft | ₹ 6,571.50 | Not available |
| 18. | | | | Crusher | ₹ 35.24 | 150.00 cft | ₹ 5,286.00 | |
| | | | | GST @ 5% | | | 592.88 | |
| 19. | Rajesh Kumar | Nil/ 03/07/2023 | 58/ 01/11/2022 | Sand | ₹ 43.81 | 500.00 cft | ₹ 21,905.00 | Not available |
| 20. | | | | Crusher | ₹ 35.24 | 400.00 cft | ₹ 14,096.00 | |
| | | | | GST @ 5% | | | 1800.05 | |
| | | | | | | कुल जोड़ | ₹ 1,36,620.23 | |

**It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Rakkar is true and as per records available at GP Rakkar Ofiice.**

39

Technical Assistant/JE
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

G. R. S.
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

46

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

**ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.05 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण**

| क्र०सं० | आपूर्तिकर्ता | वा०सं०/दिनांक | बिल सं०/दिनांक | मद का नाम | दर | मात्रा | भुगतान राशी GST सहित | कटौती दर | रिक्तियां (Voids) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **वित्त वर्ष - 2022-2023** | | | | | | | | | |
| **अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तायोग ($15^{TH}$ FC)** | | | | | | | | | |
| 1. | M/s Sharotri Dealers | XVFC/2022-23/P/50 Dt 10.08.2022 | 195/ 21.04.2022 | Crusher Bajri | ₹ 48.00 | 50.00 cft | ₹ 2,520.00 | 5.00% | ₹ 126.00 |
| **अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)** | | | | | | | | | |
| 2. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 155/ 20/10/2021 | Crusher | ₹ 36.00 | 200.00 cft | ₹ 7,200.00 | 5.00% | ₹ 360.00 |
| 3. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 152/ 18/10/2021 | Crusher | ₹ 36.00 | 75.00 cft | ₹ 2,700.00 | 5.00% | ₹ 135.00 |
| 4. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 170/ 07/08/2021 | Bajri | ₹ 36.00 | 210.00 cft | ₹ 7,560.00 | 5.00% | ₹ 378.00 |
| 5. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 171/ 07/08/2021 | Bajri | ₹ 36.00 | 130.00 cft | ₹ 4,680.00 | 5.00% | ₹ 234.00 |
| 6. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 19/05/2022 | 165/ 22/12/2021 | Cut Stone | ₹ 15.00 | 580.00 no | ₹ 8,700.00 | 12.50% | ₹ 1,087.50 |
| 7. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 172/ 07/08/2021 | Bajri | ₹ 36.00 | 70.00 cft | ₹ 2,520.00 | 5.00% | ₹ 126.00 |
| 8. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 169/ 17/02/2022 | Crusher | ₹ 36.00 | 200.00 cft | ₹ 7,200.00 | 5.00% | ₹ 360.00 |
| **वित्त वर्ष - 2023-24** | | | | | | | | | |
| **अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)** | | | | | | | | | |
| 9. | Rajesh Kumar | Nil/ 20/09/2023 | 70/ 08/04/2023 | Cut Stone | ₹ 20.95 | 270.00 no | ₹ 5,938.80 | 12.50% | ₹ 742.35 |
| 10. | Rajesh Kumar | Nil/ 03/07/2023 | 35/ 25/10/2022 | Crusher | ₹ 35.24 | 150.00 cft | ₹ 5,550.30 | 5.00% | ₹ 277.52 |
| 11. | Rajesh Kumar | Nil/ 03/07/2023 | 58/ 01/11/2022 | Crusher | ₹ 35.24 | 400.00 cft | ₹ 14,800.80 | 5.00% | ₹ 740.04 |
| | | | | | | **कुल जोड़ (R/Off)** | **₹ 69,369.90** | | **₹ 4,567.00** |

**It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Rakkar is true and as per records available at GP Rakkar Ofiice.**

Rajeev Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

(40)

Ajay Kumar
Technical Assistant/JE
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)



G. R. S.
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

(47)

परिशिष्ट " छ ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

## ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती किए बिना अपूर्तिकर्ता को सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.06 लाख का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | व्यय चयनित माह | फर्म/व्यक्ति का नाम | क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण | चयनित माह में कुल भुगतान की गई राशि | G.S.T T.D.S. कटौती दर | G.S.T T.D.S. की कटौती योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-23 | 08/2022 | M/s N.S. Energies Vill Sutrehar, Teh Nagrota Bagwan, Kangra GST No. **02AKJPU4411A1ZQ** | Coble 60mm Tiles Grey and Black | **₹ 3,13,650.00** | 2% | ₹ 6,273.00 |
| | | | | **Total (R/Off)** | **₹ 3,13,650.00** | 2% | **₹ 6,273.00** |

**Note: There was no bifurcation of GST Paid in the bill amount, therefore whole bill amount is considered for calculation of GST TDS.**

Ajay Kumar
Technical Assistant
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Rajeev Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

(41)



(48)

**ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 0.80 लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण**

| | वित्त वर्ष - 2022-2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तायोग (15TH FC) | | | | | | | |
| क्र०सं० | आपूर्तिकर्ता | वा०सं०/दिनांक | बिल सं०/दिनांक | मद का नाम | दर | मात्रा | भुगतान राशी GST सहित | टिप्पणी |
| 1. | M/s Sharotri Dealers | XVFC/2022-23/P/50 Dt 10.08.2022 | 195/ 21.04.2022 | Crusher Bajri | ₹ 48.00 | 50.00 cft | ₹ 2,400.00 | दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया |
| | | | | GST @ 5% | | | ₹ 120.00 | |
| | अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA) | | | | | | | |
| 2. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 22/10/2022 | 176/ 02/04/2022 | Cut Stone (Paid less) | ₹ 15.00 | 580.00 no | ₹ 6,900.00 | |
| 3. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 155/ 20/10/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 150.00 cft | ₹ 6,300.00 | |
| 4. | | | | Crusher | ₹ 36.00 | 200.00 cft | ₹ 7,200.00 | |
| 5. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 152/ 18/10/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 75.00 cft | ₹ 3,150.00 | |
| 6. | | | | Crusher | ₹ 36.00 | 75.00 cft | ₹ 2,700.00 | |
| 7. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 170/ 07/08/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 100.00 cft | ₹ 4,200.00 | |
| 8. | | | | Bajri | ₹ 36.00 | 210.00 cft | ₹ 7,560.00 | |
| 9. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 171/ 07/08/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 130.00 cft | ₹ 5,460.00 | |
| 10. | | | | Bajri | ₹ 36.00 | 130.00 cft | ₹ 4,680.00 | |
| 11. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 19/05/2022 | 165/ 22/12/2021 | Cut Stone | ₹ 15.00 | 580.00 no | ₹ 8,700.00 | |
| 12. | M/s Indrunag Steels & Building Material | Nil/ 08/07/2022 | 172/ 07/08/2021 | Sand | ₹ 42.00 | 70.00 cft | ₹ 2,940.00 | |
| 13. | | | | Bajri | ₹ 36.00 | 70.00 cft | ₹ 2,520.00 | |
| 14. | M/s Sharotri Dealers | Nil/ 31/05/2022 | 169/ 17/02/2022 | Sand | ₹ 42.00 | 200.00 cft | ₹ 8,400.00 | |
| 15. | | | | Crusher | ₹ 36.00 | 200.00 cft | ₹ 7,200.00 | |
| | | | | | | कुल जोड़ | ₹ 80,430.00 | |

**It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Rakkar is true and as per records available at GP Rakkar Office.**

Rajeev Kumar

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला
कांगड़ा (हि०प्र०)

Sanu Kumar
G. R. S.
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

Ajay Kumar
Technical Assistant/
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

42

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 8.5 " के सन्दर्भ में

## ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा राशि ₹ 4.65 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय का विवरण

| वित्त वर्ष - 2022-2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) | | | | | | | | | |
| क्र०सं० | आपूर्तिकर्ता | वा०सं०/दिनांक | बिल सं०/दिनांक | मद का नाम | दर | मात्रा | | राशी GST सहित | टिप्पणी |
| 1. | M/S N. S. Energies | SDP/2022-23/P/3 Dt 25.08.2022 | 477/ 24.08.2022 | Coble tile 60m.m. black | ₹ 35.20 | 2500.00 | no | ₹ 88,000.00 | हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portal से उपलब्धता सुनिश्चित न करना एवं दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना। |
| 2. | | | | Coble tile 60m.m. grey | ₹ 34.50 | 2500.00 | no | ₹ 86,250.00 | |
| 3. | M/S N. S. Energies | SDP/2022-23/P/4 Dt 25.08.2022 | 476/ 24.08.2022 | Coble tile 60m.m. black | ₹ 35.20 | 2000.00 | no | ₹ 70,400.00 | |
| 4. | | | | Coble tile 60m.m. grey | ₹ 34.50 | 2000.00 | no | ₹ 69,000.00 | |
| | | | | | | कुल जोड़ | | ₹ 3,13,650.00 | |

**It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Rakkar is true and as per records available at GP Rakkar Office.**

Rajeev Kumar

सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

43

ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 1.78 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष - 2022-2023 | | | | | | | |
| | अनुदान शीर्ष : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA) | | | | | | |
| क्र०सं० | आपूर्तिकर्ता | वा०सं०/ दिनांक | DeliveryChalla/ Gate Pass No. | मद का नाम | दर | मात्रा | भुगतान की गई राशि |
| 1. | H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara | RGSA/2022-23/P/9 Dt 03.08.2022 | 13182/ 19.05.2022 | सीमेंट | ₹ 344.60 | 50.00 Bags | 17230.00 |
| | | | | | | जोड़ (i) | ₹ 17,230.00 |
| | वित्त वर्ष 2023-24 | | | | | | |
| | अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA) | | | | | | |
| 1. | H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara | Nil/ 03.08.2023 | 43109/ 22.07.2023 | सीमेंट | ₹ 401.00 | 200.00 Bags | ₹ 80,200.00 |
| 2. | H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara | Nil/ 03.08.2023 | 43108/ 22.07.2023 | सीमेंट | ₹ 401.00 | 200.00 Bags | ₹ 80,200.00 |
| | | | | | | जोड़ (ii) | ₹ 1,60,400.00 |
| | | | | | | कुल जोड़ (i + ii) | ₹ 1,77,630.00 |

**It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Rakkar is true and as per records available at GP Rakkar Ofiice.**

Sanu Kumar
G. R. S.
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

Ajay Kumar
Technical Assistant/
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

Rajeev Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला
कांगड़ा (हि०प्र०)

44

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 9.1 व 9.2 " के सन्दर्भ में

**ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना व माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करना तथा नमूना जांच नियामनुसार न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹3.55 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण**

| क्र० सं० | कार्य का नाम | स्वीकृत | स्वीकृत राशी | कुल व्यय राशी | मूल्याकन राशि | एम० बी० सं० / पृ० सं० | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निर्माण गौशाला की राजेश कुमार स्पुत्र श्री पृथ्वी राज जमीन पर वार्ड-4 (1304004180/IF/32291944) | 2022-23 | ₹ 44,752.00 | ₹ 34,952.00 | ₹ 34,987.00 | 0066/ 19-21 | पूर्ण |
| 2 | नवीनीकरण बाबड़ी ठेडू वाले दी बाबड़ी 1(1304004180/WH/32043452) | 2021-22 | ₹ 3,00,021.00 | ₹ 47,761.60 | ₹ 56,180.00 | 0066/ 23-26 | पूर्ण |
| 3 | निर्माण भू-सरंक्षण हेतु सुरक्षा दीवार घियारी खड्ड गोकुल इत्यादि की जमीन वार्ड-2(1304004180/FP/8000117940) | 2023-24 | ₹ 2,99,203.00 | ₹ 2,71,854.51 | ₹ 2,71,771.00 | 0066/ 69-74 | पूर्ण |
| | | कुल योग | **₹ 6,43,976.00** | **₹ 3,54,568.11** | **₹ 3,62,938.00** | | |

Ajay Kumar
Technical Assistant/
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)

Sonu Kumar
G. R. S.
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

Rajeev Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

45

(परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 9.3 " के संदर्भ में)

**ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मस्टर रोलों का भुगतान मूल्यांकन के बिना करने के कारण राशि ₹0.48 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण**

| क्र० सं० | कार्य का नाम | मस्टर रोल संख्या | वा० सं० / दिनांक | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निर्माण गौशाला की राजेश कुमार स्पुत्र श्री पृथ्वी राज जमीन पर वार्ड-4 (1304004180/IF/32291944) | 1248 | NIL/05.08.2022 | ₹ 5,936.00 |
| 2. | | 1605 | NIL/22.08.2022 | ₹ 5,088.00 |
| 3. | नवीनीकरण बाबड़ी ठेडू वाले दी बाबड़ी 1 (1304004180/WH/32043452) | 1243 | NIL/05.08.2022 | ₹ 5,760.00 |
| 4. | निर्माण भू-सरंक्षण हेतु सुरक्षा दीवार घियारी खड्ड गोकुल इत्यादि की जमीन वार्ड-2(1304004180/FP/8000117940) | 1292 | NIL/04.08.2023 | ₹ 7,632.00 |
| 5. | | 1293 | NIL/04.08.2023 | ₹ 8,640.00 |
| 6. | | 1466 | NIL/17.08.2023 | ₹ 12,320.00 |
| 7. | निर्माण रास्ता लिंक रोड से महिंदर कुमार के घर की और (1304004180/RC/8000152165) | 1525 | NIL/17.08.2023 | ₹ 2,800.00 |
| | | | कुल जोड़ | **₹ 48,176.00** |

Ajay Kumar
Technical Assistant/JE
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.) Rakkar

G. R. S. Sonu Kumar
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

Rajeev Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

48

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 9.4 " के सन्दर्भ में

**ग्राम पंचायत रक्कड़ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹ 0.43 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण**

| क्र० सं० | कार्य का नाम | वर्क कोड | लाभार्थी का नाम | MIS अनुसार कुल व्यय राशि | MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय | MIS अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय | मजदूरी अनुसार सामग्री पर व्यय योग्य राशी | सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निर्माण वर्षा जल संग्रहण टैंक सुरेश कुमार पुत्र छोटू राम वार्ड 4 | 1304004180/IF/32152892 | श्री सुरेश कुमार | ₹ 48,037.10 | ₹ 28,861.10 | ₹ 19,176.00 | ₹ 12,771.22 | ₹ 16,089.88 |
| 2. | निर्माण गौशाला शेड देश राज पुत्र मुसाफिर | 1304004180/IF/32152911 | श्री देश राज | ₹ 32,787.00 | ₹ 18,729.00 | ₹ 14,058.00 | ₹ 9,362.63 | ₹ 9,366.37 |
| 3. | निर्माण बकरी पालन शेड महिंदर कुमार पुत्र बुश्हेरी | 1304004180/IF/32152912 | श्री महिंदर कुमार | ₹ 31,229.26 | ₹ 14,993.26 | ₹ 16,236.00 | ₹ 10,813.18 | ₹ 4,180.08 |
| 4. | निर्माण सुरक्षा दीवार भूमि कटाव रोकने हेतु श्री मति सुरिन्द्रा देवी पत्नी श्री प्यारे लाल वर 5 | 1304004180/IF/32153718 | श्री मति सुरिन्द्रा देवी | ₹ 54,224.20 | ₹ 29,816.20 | ₹ 24,408.00 | ₹ 16,255.73 | ₹ 13,560.47 |
| | | **कुल जोड़** | | **₹ 1,66,277.56** | **₹ 92,399.56** | **₹ 73,878.00** | **₹ 49,202.75** | **₹ 43,196.81** |

Ajay Kumar
Technical Assistant
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)

Sonu Kumar
G. R. S.
G. P. Rakkar
Dev. Block D/shala

Rajeev Kumar
PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

47

(परिशिष्ट " ढ " पैरा संख्या " 10.1 व 10.2 " के संदर्भ में)

# कार्यालय ग्राम पंचायत रक्कड़, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176057

(क) आवेदनकर्ताओं से वसूली हेतु शेष राशि ₹0.03 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली का विवरण :-

| क्र०सं० | आवेदनकर्ता | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | रसीद संख्या | दिनांक | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vijay Singh | 18-02-2022 | 12-04-2022 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| 2. | Anil Kumar | 21-04-2022 | 01-06-2022 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| 3. | Lucky | 22-05-2022 | 15-07-2022 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| 4. | Vinay Kumar | 13-10-2021 | 25-07-2022 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| 5. | Suraj Kumar | 02-12-2022 | 02-01-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| 6. | Ankush Kumar | 15-01-2023 | 15-02-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 200.00 | 267167 | 15-02-2023 | ₹ 200.00 |
| 7. | Laxit Kumar | 06-02-2023 | 20-03-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| 8. | Sanjeev Kumar | 12-11-2021 | 31-03-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 0.00 | N.A. | | ₹ 400.00 |
| | | | कुल योग | ₹ 3,200.00 | | | | ₹ 3,000.00 |

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.08 लाख को हि०प्र० कोषागार (Treasury) में जमा न करवाने का विवरण:-

| क्र०सं० | आवेदनकर्ता | विवाह की तिथि | पंजीकरण तिथि | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | रसीद संख्या | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वित्त वर्ष 2022-23 | | | | | |
| 1. | Nitin Kumar | 23-06-2022 | 22-07-2022 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267155 | 22-07-2022 |
| 2. | Mohit Thapa | 21-06-2022 | 16-08-2022 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267156 | 16-08-2022 |
| 3. | Sudershan Kumar | 26-09-2022 | 29-09-2022 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267157 | 29-09-2022 |
| 4. | Sunny Kumar | 27-09-2022 | 18-10-2022 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267158 | 18-10-2022 |
| 5. | Rishav | 26-09-2022 | 25-10-2022 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267159 | 25-10-2022 |
| 6. | Ankush Kumar | 15-01-2023 | 15-02-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 200.00 | 267167 | 15-02-2023 |
| 7. | Anil Kumar | 31-01-2023 | 15-02-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267168 | 15-02-2023 |
| 8. | Rakka | 10-02-2023 | 28-02-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267169 | 28-02-2023 |
| . | | | कुल योग | ₹ 2,000.00 | ₹ 1,800.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | वित्त वर्ष 2023-24 | | | | | |
| 1. | Prem Chand | 10-07-2023 | 28-07-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267672 | 28-07-2023 |
| 2. | Prince Ghai | 02-05-2023 | 28-07-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267673 | 28-07-2023 |
| 3. | Avhinash | 02-07-2023 | 26-08-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267686 | 26-08-2023 |
| 4. | Rohit Sharma | 25-09-2023 | 03-10-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267688 | 03-10-2023 |
| 5. | Vevek Salhotra | 26-10-2023 | 31-10-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267689 | 30-10-2023 |
| 6. | Ashish | 23-06-2023 | 06-12-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267693 | 06-12-2023 |
| 7. | Sachin Shrama | 27-11-2023 | 15-12-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267697 | 15-12-2023 |
| 8. | Ashwani Shrama | 25-09-2023 | 18-12-2023 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267698 | 18-12-2023 |
| 9. | Abhishek Goutam | 19-11-2023 | 18-12-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267699 | 18-12-2023 |
| 10. | Amrish Thapa | 07-12-2023 | 23-12-2023 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267700 | 23-12-2023 |
| 11. | Shivam | 29-11-2023 | 01-01-2024 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267702 | 01-01-2024 |
| 12. | Rakesh Kumar | 19-11-2023 | 09-01-2024 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267703 | 09-01-2024 |
| 13. | Suraj | 03-06-2023 | 08-02-2024 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267747 | 08-02-2024 |
| 14. | Neeraj Kumar | 27-11-2023 | 14-02-2024 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267748 | 14-02-2024 |
| 15. | Arun Kumar | 06-02-2024 | 21-02-2024 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267751 | 21-02-2024 |
| 16. | Rajat | 19-02-2024 | 07-03-2024 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267752 | 07-03-2024 |
| 17. | Rajinder Kumar | 02-03-2024 | 13-03-2024 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267753 | 13-03-2024 |
| 18. | Mani | 28-02-2024 | 16-03-2024 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267754 | 16-02-2024 |
| 19. | Ravinder Kumar | 24-02-2024 | 28-03-2024 | ₹ 400.00 | ₹ 400.00 | 267756 | 28-03-2024 |
| 20. | Amit Kumar | 04-03-2024 | 30-03-2024 | ₹ 200.00 | ₹ 200.00 | 267757 | 30-03-2024 |
| | | | कुल योग | ₹ 5,800.00 | ₹ 5,800.00 | | |

| | |
|---|---|
| वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि | ₹ 1,800.00 |
| वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि | ₹ 5,800.00 |
| कुल योग | ₹ 7,600.00 |

Rajeev Kumar
सचिव
ग्राम पंचायत रक्कड़
वि०ख० धर्मशाला,
कांगड़ा (हि०प्र०)

(98)



(55)